

12/8

काताक
पत्रावली राजीव
22/9/22
3/पत्रावली

सहायक कलेक्टर
आबुरोड (सिरोही)

13/8

काताक पत्रावली
काताक काताक
25/9/22 3/पत्रावली

सहायक कलेक्टर
आबुरोड (सिरोही)

21/8/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
3/पत्रावली में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक.....
18/9/22 को पेश हो।

18/9/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
3/पत्रावली में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक.....
2/10/22 को पेश हो।

27/9/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
3/पत्रावली में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक.....
14/10/22 को पेश हो।

14/10/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
3/पत्रावली में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक.....
1/11/22 को पेश हो।


19/10/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
3/पत्रावली में होने से पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक.....
2/11/22 को पेश हो।


12/11/22 पत्रावली पेश
पत्रावली 3/पत्रावली

वारीपानी मालकी हस्त

एक प्रार्थना का मार्फत यू-अग्निसेल
 गिरनर एवं विधायक रामदास, सिलसिला
 जाली, -पठेसा तहसील आबूरोड के पेशावर
 कथन किया कि बीमान के -मायासल के
 विवादाधीन वाद की वादभक्त भूमि
 मोजा बहादुरशय के खसरा नंबर 16,
 17, 18 किला नं० 206 के धा कृषि
 भूमि का उनके द्वारा जरिये रजिस्ट्री
 केपान कर दिया है और उक्त भूमि
 में उनके खालेदारी एक एक नही
 रहने से उक्त वाद को आगे नही
 चलाने का कथन किया है।

अतः उक्त वाद अन्तर्गत
 धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी
 विधिनियम 1972 के जरिये विद्वी खारिज
 किया जाता है
 फावली फौजल शुमार हाकिम नंबर
 से कम है।


 अध्यक्ष
 राष्ट्रीय लोक अदालत


 सहायक कलेक्टर
 आबूरोड (सिरोही)